

## कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया

(कैम्पस – सदर अस्पताल, अररिया)

Phone No.- 7645886558, Email-ID – dhsarariareports1@gmail.com

### अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

PR No. -09041(Ni.Ni.) 2019-20 से प्रकाशित विज्ञापन में जेनरेटर सेवा के निविदा को जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया के क्रय समिति के कार्यवाही ज्ञापक 1380, दिनांक 19.11.2019 के कडिका (C) के आधार पर रद्द किया जाता है।

राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना का पत्रांक 9230, दिनांक 05.11.2012 निर्दिष्ट परिशिष्ट के अनुरूप 1. सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल/प्रा0 स्वा0 केन्द्रों तथा प्रखंडवार एक-एक अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र एवं रा0 स्वा0 समिति बिहार, पटना के निदेशानुसार समय-समय पर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर हेतु आउट सोर्सिंग व्यवस्था के तहत जेनरेटर सेवा हेतु गैर-सरकारी संस्थाओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है।

वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति व्यवस्था अन्तर्गत 20 KVA, 30 KVA, 40 KVA, 50 KVA एवं 125 KVA Silent (DG Set) जेनरेटर का दर (ईंधन सहित) प्रति घंटा अंकित करना होगा। 2. जेनरेटर हेतु तेल/मोबिल/ऑपरेटर एवं रख-रखाव/सेवादाता को 1 (एक) तकनीशियन रखना संस्था के जिम्मे होगा। 3. बिजली बाधित रहने की स्थिति में 24 घंटे जेनरेटर सेवा उपलब्ध रहना चाहिए। 4. दुर्घटना की परिस्थिति के लिए 02 (दो) जेनरेटर सेट रखना अनिवार्य होगा। 5. जेनरेटर की दर प्रति घंटा की दर के लिए निविदा आमंत्रित है।

निविदा 27/02/21 अपराहन 5pm बजे तक सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया, सदर अस्पताल कैम्पस, अररिया में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा स्वीकार किया जायेगा। प्राप्त निविदा को दिनांक 28/02/21 को 3 PM बजे अपराहन जिलाधिकारी कार्यालय, अररिया में खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता/प्रतिनिधि की उपस्थिति आवश्यक होगी। निविदा दो प्रकार यथा (1.) टेकनिकल (2.) वित्तीय अलग-अलग लिफाफे में बंद कर लिफाफे के उपर "अस्पताल जेनरेटर सेवा से संबंधित निविदा" स्पष्ट अक्षरों में उल्लेखित होना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

#### निविदा की आवश्यक शर्तें :-

1. संस्था को 25,000/-रु0 (पच्चीस हजार रूपया) प्रति प्रखंड स्वास्थ्य इकाई की दर से बैंक ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत देनी होगी, जो जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया के नाम से देय होगी। 2. संस्था के नाम से चल रहे बैंक खाते का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। 3. संस्था का वाणिज्य कर (GST) नम्बर, दो साल का GST Return अद्यतन जमा करना होगा। 4. निविदादाता द्वारा अद्यतन दो साल का आयकर Return एवं वाणिज्यकर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। 5. तीन वर्षों का C.A द्वारा 20 लाख आय का टर्न ओवर का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। 6. यदि निविदादाता एक कंपनी/गैर-सरकारी संगठन/फर्म/प्रतिष्ठान है तो उसे संगत कानून के अधीन निबंधित होना चाहिए। 7. निविदादाता को आयकर पैन संख्या धारक तथा वाणिज्यकर अंतर्गत निबंधित होना चाहिए। 8. निविदादाता को समान प्रकृति के व्यवसाय में गत तीन वर्षों में औसत टर्नओवर 20 (बीस) लाख या ज्यादा (प्रमाण पत्र सहित) होना चाहिए। 9. निविदादाता द्वारा विगत तीन कर निर्धारण वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन निविदा के साथ किया जाना चाहिए। 10. निविदादाता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर इस आशय का प्रमाण पत्र कि न्यायालय में उस पर कोई वाद न तो लंबित है न ही न्यायालय द्वारा उसे किसी कानून के अंतर्गत दंडित किया गया है तथा निविदादाताओं को कभी भी काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है। 11. बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का बना होना चाहिए। तकनीकी निविदा के शर्तों को पूरा करने वाले निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

#### वित्तीय निविदा :-

निविदा का वित्तीय दर 100 प्रतिशत लोड जेनरेटर के के0वी0 के अनुरूप प्रति लिटर प्रति घंटा का वर्तमान डीजल प्रति लिटर की दर से खपत मूल्य से कम नहीं हो तथा निविदा में चालक सहित एवं चालक रहित दर का स्पष्ट उल्लेख हो ताकि जेनरेटर नहीं चलने की स्थिति में भी निविदादाता को न्यूनतम भुगतान किया जा सके जिससे कि सेवा आपूर्ति बाधित नहीं हो।

विशेष जानकारी हेतु कार्यावधि में जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया कार्यालय अथवा वेबसाईट <http://araria.bih.nic.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव  
जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष  
जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया